HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2149/2026

Rahul S/o Ratiram, Aged About 24 Years, R/o Snet Ka Pura, P.s. Shrimahavirji, District Karauli (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narendra Prasad Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Pradeep Kumar Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

19/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना महावीरजी, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2025 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि परिवादी से उसका राजीनामा हो चुका है। यह उन्होंने पत्रावली में पेश किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कृत्य किये जाने के आरोप नहीं है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि उनका प्रार्थी/अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है, यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल पुत्र रत्तिराम** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA/81